न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जहाजपुर जिला भीलवाडा

बईजलास – श्री उम्मेद सिंह राजावत, आर.ए.एस.
प्रकरण सं0 :– 14/2020
दायर दिनांक :– 06.01.2020

अनवान

श्री हेमराज पिता मुत. लेखा बलाई नि. गलीया तह0 जहाजपुर

प्रार्थी..........

बनाम

1. श्री शंकर पिता हीरा गुर्जर नि. गलीया तह0 जहाजपुर
2. श्री दुर्गा पिता नन्दा गुर्जर नि. गलीया तह0 जहाजपुर
3. श्री नन्दा पिता चन्द्रा गुर्जर नि. गलीया तह0 जहाजपुर
4. श्री देवकरण पिता खाना गुर्जर नि. गलीया तह0 जहाजपुर
5. तहसीलदार जहाजपुर

अप्रार्थीगण......

:: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान ले. रे. एक्ट ::

:: आदेश ::

दिनांक 03.03.2020

प्रार्थी का वाद पत्र के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है की ग्राम गलीया प0 ह0 टिटोडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 804/3 रकबा 9.10 बीघा भुमि स्थित है। जिसमे स्थायी सीमा की जानकारी नही होने से सीमाओं को लेकर विवाद है। जिसे स्थायी सीमा चिन्ह लगाने की मांग की।

प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र की ताईद में नकल जमाबन्दी सम्वत 2070 से 2073 व विवाद बाबत शपथ पत्र पेश किया गया।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है कि ग्राम गलीया प0 ह0 टिटोडा तह0 जहाजपुर में स्थित कृषि आ0 स0 804/3 रकबा 9.10 बीघा भुमि की बसामलात पडोसियान के पत्थरगढी करने हेतु भु अभिलेख निरीक्षक खजुरी का कमीश्नर नियुक्ति किया जाता है। कमीश्नर फीस 1000 रू. तय किये जाते हैं जो प्रार्थी मौके पर अदा करेगा, उनमें से 100 रूपये राजकोष में जमा करावे। पालना हेतु तहसीलदार जहाजपुर को लिखा जावे।

आदेश आज दिनांक 03.03.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह राजावत)
उपखण्ड अधिकारी
जहाजपुर (भीलवाडा)

Signed by: Ummed Singh Rajawat
Location: Rajasthan,IN
Date: 12/03/2020 17:51:45